

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-152/2018/ दिनांक:-

अधीक्षक

महाराव भीमसिंह चिकित्सालय,
कोटा।

विषय:- श्रीमती सरोज कुमारी पुत्री श्री मोहन लाल नर्स-2 अवकाश स्वीकृत करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1592 दिनांक 24.05.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित के क्रम में श्रीमती सरोज कुमारी पुत्री श्री मोहन लाल नर्स-2 (परिविक्षाधीन) का अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्धित प्रकरण में लेख है कि कार्मिका का असाधारण अवकाश आपके स्तर से स्वीकृत किया गया है जो आप स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं अतः आदेश निरस्त कर आदेश की प्रति भिजवावे एवं कार्मिका उक्त अवधि के अलावा परिवीक्षाकाल में किसी अन्य असाधारण अवकाश का उपभोग किया अथवा नहीं की सूचना भिजवावे। सूचना भिजवाने के पश्चात ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 22-10-2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-152/2018/1465

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 2- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर